



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 162-2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021 (ASVINA 9, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 1 अक्टूबर, 2021

संख्या 54/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई सारणी के खाना (3) में विनिर्दिष्ट माल, जो नीचे दी गई सारणी के खाना (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट हैं, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आती हैं, को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन उस पर उदग्रहणीय राज्य कर से उस सीमा तक छूट देते हैं जितनी से वह उक्त सारणी के खाना (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट दर से संगणित राशि से अधिक है, अर्थात्: -

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय, शीर्ष, उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	30	टोसीलिजुमैब	शून्य
2	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
3	30	रेमडेसिविर	2.5%
4	30	हेपरिन (एंटी-कौयगुलॉट)	2.5%
5	30	इटोलिजुमाब	2.5%
6	30	पॉसकोनाजोल,	2.5%
7	30	इनपिलक्सिमैब	2.5%
8	30	बामलानिविमाब और एतेसेविमाब	2.5%
9	30	कासिरिविमाब और इम्देवीमाब	2.5%
10	30	2-डिओक्सी-डी-ग्लूकोज	2.5%
11	30	फेविपिराविरि	2.5%

2. यह अधिसूचना प्रथम अक्टूबर, 2021 से लागू होगी और 31 दिसंबर, 2021 तक लागू रहेगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

(3367)

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st October, 2021

No. 54/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “the said Act”), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the Table below, from so much of the State tax leviable thereon under Section 9 of the said Act, as in excess of the amount calculated at the rate as specified in corresponding entry in column(4)of the aforesaid Table, namely:-

Table

Serial No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	30	Tocilizumab	Nil
2	30	Amphotericin B	Nil
3	30	Remdesivir	2.5%
4	30	Heparin (anti-coagulant)	2.5%
5	30	Itolizumab	2.5%
6	30	Posaconazole	2.5%
7	30	Infliximab	2.5%
8	30	Bamlanivimab and Etesevimab	2.5%
9	30	Casirivimab and Imdevimab	2.5%
10	30	2-Deoxy-D-Glucose	2.5%
11	30	Favipiravir	2.5%

2. This notification shall come into force from the 1st day of October, 2021 and remain in force upto and inclusive of the 31st December, 2021.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.